

न्यायालय लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरौही राज.

क्रमांक: कोर्ट/2020/4548

दिनांक 14-12-2020

राजस्व प्रा.पत्र. संख्या..153/2020

प्रेषिति :-

तहसीलदार
सिरौही

उपतहसीलदार कालन्दी तहसील सिरौही द्वारा जरिये पत्र क्रमांक भू.अ./2020/584 दिनांक 8-12-2020 के संलग्न प्रार्थीया श्रीमती उसमकुंवर पत्नी स्व.करणसिंह राजपूत निवासी मोहब्बतनगर के प्रार्थना पत्र व प्रार्थीया के संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी मौजा मोहब्बतनगर तहसील व जिला सिरौही वर्तमान जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या नया 354 के खसरा 1158 से 1168 व 1295 कुल खसरे 12 कुल क्षेत्रफल 6.8800 हेक्टेयर, प्रार्थीया उसम कुंवर तंवर धर्मपत्नि करणसिंह जाति राजपूत निवासी मोहब्बतनगर का प्रार्थना पत्र दिनांक 1-12-2020 मय पटवार हल्का फुंगणी की जांच रिपोर्ट दिनांक 8-12-2020 पुरानी जमाबंदी संवत 2050 से 2053 खाता संख्या नया 437 राशनकार्ड व आधारकार्ड तथा वोटर कार्ड की प्रति प्रार्थीया ने अपना नाम शुद्ध करने का निवेदन किया है। पटवारी हल्का मोहब्बतनगर की जांच रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेजों को अनुसार प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि मेसे पृथक पृथक खातेदारों के 1/12 व 1/12 हिस्से की भूमि दो बार क्रय की गई थी जो नामान्तरण संख्या 1847 व 1682 के द्वारा प्रार्थीया उसबकुंवर व उसमकुंवर नाम से इन्द्राज की गई थी। प्रार्थीया का सही व वास्तविक नाम उसमकुंवर है। उसके अन्य दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड आदि मते भी प्रार्थीया का नाम (सही) उसमकुंवर ही है। उसबकुंवर व उसमकुंवर एक ही व्यक्ति है। इन नामों का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम मोहब्बतनगर में नहीं है। इस प्रकार वर्तमान जमाबंदी संवत 2072-2075 के खाता संख्या 354 में क्र.सं. 2 व 3 पर प्रार्थीया का नाम उसबकुंवर के स्थान पर उसमकुंवर दर्ज करने की शुद्धि करना उचित है। हमने प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय उक्त वर्णित दस्तावेज प्रतियो व पटवारी हल्का मोहब्बतनगर की जांच रिपोर्ट तथा उपतहसीलदार कालन्दी की उक्त अनुशंसा रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन कर विवेचन के उपरान्त उक्त सभी के आधार पर प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित होने से राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सिरौही भूमिधारी को पुनःमूल प्रस्ताव मय राजस्व रेकॉर्ड की प्रतियों के भेजकर आदेश दिये जाते हैं कि प्रस्तावानुसार वर्तमान जमाबंदी संवत 2072-2075 के खाता संख्या 354 में क्र.सं. 2 व 3 पर प्रार्थीया के दर्ज गलत नाम उसबकुंवर के स्थान पर उसमकुंवर की शुद्धि कर दर्ज/राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर इस न्यायालय को आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरौही
सिरौही (राज.)

